इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2016—आश्विन 27, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (ग) में, उपखण्ड (एक) तथा (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(एक) जिसे 01 जुलाई, 1968 से पूर्व सेवा से अवचार या अक्षमता के कारण पद्च्युत या सेवोन्मुक्त न किया गया हो;

(दो) जिसने 1 जुलाई, 1968 को या उसके पश्चात् किन्तु 01 जुलाई 1979 के पूर्व प्रमाणीकरण के पश्चात् लगातार छः मास से अन्यून कालावधि के लिए सेवाएं दी हों और सेवा से मुक्त किया गया हो परन्तु कदाचार एवं अक्षमता के कारण सेवोन्मुक्त न किया हो;".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October 2016

F. 9-2-2012-R.C.-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class-III and Class IV] Rules, 1985, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in rules 2, in clause (c), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(i) who has not been dismissed or discharged from the service before Ist July, 1968 on account of any misconduct or inefficiency;

(ii) who has served continously for a period of not less than six months after attestation on or after 1st July, 1968 but before Ist July, 1979 and has been released from the service, but hasn't been discharged on account of misconduct and inefficency;".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.